



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 32-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2013

दिनांक: 23 मई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (जानपद) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (जानपद) के पद पर नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आवण्टित/तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति के पश्चात आवंटित निगम/तैनाती
1	2	3	4
1	श्री विजेन्द्र कुमार (अ0जा0) 7727, अलीगढ़ 31.07.2013	अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद पारेषण मण्डल लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (जानपद) उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को आवंटित
2	श्री अजय कुमार गर्ग 7903, जोधपुर 30.04.2014	अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद(वितरण) मण्डल लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2(जानपद) पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ को आवंटित ।
3	श्री सुधीर कुमार शाह 7908, मध्य प्रदेश 30.09.2016	अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (जानपद) मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ को आवंटित ।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवण्टित अधिकारियों की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे

4- कारपोरेशन के का0ज्ञा0सं0-505-ज0श0एवंप्र0सु0-01/पाकालि/13-21-प्र0सु0/2001 दिनांक 4-5-2013 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेशों में नियमानुसार यथा वांछित कार्योत्तर अनुमोदन/पूर्वानुमोदन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा गठित द्वि-सदस्यीय समिति से, सम्बन्धित वितरण निगमों द्वारा ही प्राप्त किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

6- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

CAIM

प्रबन्ध निदेशक

(2)

संख्या: 32(1)अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,


(अजय कुमार पुरवार)
उप सचिव